विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

<u>प्रकरण क्रमांक L0031513</u>

मेसर्स एच.जे.आई, – आवेदक
डिवीजन आफ ओरिएण्ट पेपर मिल्स,
पोस्ट आफिस अमलाई पेपर मिल्स,
जिला – अनूपपुर (म.प्र.) –484117

विरूद्ध

मुख्य यंत्री (काम.),
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर, (म0प्र0) – 482 008

– अनावेदकगण

मुख्य यंत्री (पी.एल.जी. एण्ड पी.एस.),
म0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,
शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर, (म0प्र0) – 482 008

आदेश

(दिनांक 05.03.2014 को पारित)

आवेदक की ओर से श्री विजय कण्डया, प्रतिनिधि उपस्थित ।
अनावेदक की ओर से श्री श्रीकान्त जागीरदार, अधीक्षण यंत्री तथा श्री एम.एम. ढोके, कार्यपालन यंत्री उपस्थित ।

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया जाएगा) के शिकायत क्रमांक 223/2008 मेसर्स एच.जे.आई, जी.एम.एम. कम्पनी लिमिटेड विरूद्ध मुख्य यंत्री (कामर्शियल) तथा अन्य दो में पारित आदेश दिनांक 26.03.2013 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. शिकायतकर्ता उपभोक्ता ने अमलाई स्थित फैक्टरी में 132 के.वी. लाईन से विद्युत प्रदाय करने की मांग अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी से की थी, मार्च, 2006 में उसे लागत राशि की जानकारी दी गई थी । उपभोक्ता ने कार्य स्वयं के द्वारा कराए जाने का विकल्प चुना था और कार्य उसके द्वारा कराया गया था । उभयपक्ष के बीच विद्युत प्रदाय किए जाने के संबंध में संविदा निष्पादित की गई थी । संविदा के निष्पादन के पश्चात उपभोक्ता ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी, जिसे शिकायत क्रमांक 90/2007 के रूप में पंजीबद्ध किया गया था । इस शिकायत का निराकरण फोरम द्वारा दिनांक 19.10.2007 को किया गया था, जिसके अनुसार उपभोक्ता को 3.4 लाख रू. वापस करने का आदेश दिया गया था तथा वे की लागत के संबंध में पुनः फोरम के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता उपभोक्ता को दी गई थी । उपभोक्ता ने इस संबंध में पुनः फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी, जिसे शिकायत क्रमांक 223/2008 के रूप में पंजीबद्ध किया गया था । इस शिकायत का निराकरण दिनांक 18.11.2008 को किया गया । फोरम द्वारा उपभोक्ता की उक्त शिकायत को निरस्त किए जाने के कारण उपभोक्ता ने विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था । लोकपाल ने उक्त अभ्यावेदन को समयबाधित मानकार निरस्त कर दिया था । लोकपाल के उक्त आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत किए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय ने लोकपाल को गुण–दोषों के आधार पर अभ्यावेदन का निराकरण किए जाने का निर्देश दिया था । माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्देश के बाद लोकपाल द्वारा दिनांक 19.10.12 को उपभोक्ता के अभ्यावेदन पर सुनवाई करते हुए शिकायत को फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया था कि उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण गुण–दोषों के आधार पर किया जाए । लोकपाल के उक्त निर्देश के बाद फोरम ने दिनांक 26. 03.13 को उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण गुण–दोषों के आधार पर करते हुए उसकी शिकायत को निरस्त किया था । फोरम द्वारा वांछित अनुतोष न दिए जाने के कारण उपभोक्ता ने उक्त आदेश दिनांक 26.03.13 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि उपभोक्ता को डैडीकेटर फीडर नहीं दिया गया था, अतः डैडीकेटेड फीडर 132 के.वी.ए. की सुविधा प्रदान करने के आधार पर अनावेदक ने उपभोक्ता से वेऑफ कास्ट के रूप में 58.71 लाख तथा बे कंस्ट्रक्शन में सुपरवीजन चार्जेज के रूप में 8.49 लाख रू. की जो वसूली की है वह नियम विरूद्ध है, क्योंकि उपभोक्ता ने कभी भी डैडीकेटर फीडर की सुविधा दिए जाने का आवेदन नहीं दिया था । उपभोक्ता को डैडीकेटर फीडर की सुविधा उसी समय प्रदान की जा सकती है जब ऐसी सुविधा दिए जाने की मांग उपभोक्ता ने की हो । उपभोक्ता को जो विद्युत लाईन दी गई है उस लाईन से दूसरे व्यक्तियों को भी कनेक्शन की सुविधा देने का अधिकार अनावेदकगण

को है । इस आशय का उपबंध उभयपक्ष के मध्य निष्पादित संविदा में किया गया था, ऐसी स्थिति में मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 4.3, 4.4, 4.6, 4.70, 5.3 तथा भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 45 एवं 46 के प्रावधानों को ध्यान में न रखते हुए फोरम ने जो आदेश पारित किया है, वह विधिसंगत नहीं है, अतः उसे बेकास्ट की राशि और सुपरवीजन चार्जेज की राशि ब्याज के साथ वापस दिलाई जाए ।

3. अनावेदकगण की ओर से यह आपत्ति की गई है कि उपभोक्ता ने पहली बार जो शिकायत की थी उस शिकायत में जिन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया था अर्थात् जो अनुतोष नहीं चाहा था वह अनुतोष अब वह प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । उन्होंने यह आपत्ति भी की है कि उपभोक्ता को डेडीकेटेड फीडर की सुविधा प्रदान नहीं की गई थी और उससे जो राशि प्राप्त की गई है इसकी लिखित जानकारी उपभोक्ता को देने के बाद उपभोक्ता की सहमति से दोनों पक्ष के मध्य संविदा निष्पादित हुई थी । उपभोक्ता से जो राशि वसूल की गई है वह राशि नियमानुसार वसूल की गई है, अतः उपभोक्ता कोई भी राशि वसूल पाने का अधिकारी नहीं है ।

4. **विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या** : उपभोक्ता अनावेदकगण से वे–कास्ट की राशि 58.71 लाख रू. तथा सुपरवीजन की राशि 8.4 लाख रू. वापस पाने का अधिकारी है तथा क्या उपभोक्ता उक्त राशि को जमा किए जाने की दिनांक से वापस प्राप्त करने की दिनांक तक का ब्याज भी पाने का अधिकारी है ? ।

<u>कारणों सहित आदेश इस प्रकार है</u> :–

5. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता उद्योग की परिधि में आता है तथा ऐसे औद्योगिक प्रयोजन के लिए उसने विद्युत प्रदाय की मांग अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी से की थी । विद्युत प्रदाय के लिए अनावेदक कम्पनी एकमात्र प्रदाता है तथा उपभोक्ता की मांग पर ऐसी प्रदाता अर्थात् वितरक के द्वारा विद्युत उपभोक्ता को प्रदान की जाती है । आवेदक उपभोक्ता एक निजी कम्पनी है, जबकि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी सरकारी कम्पनी की परिधि में आती है । आवेदक/उपभोक्ता को वर्ष 99 के पहले भी विद्युत प्रदाय करने का कार्य मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा किया जाता था । वर्ष 1999 में उपभोक्ता ने निजी कारणों से मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल से विद्युत लेना बन्द कर दिया था तथा स्थाई रूप से कनेक्शन विच्छेदित करा दिया था । वर्ष 2006 में उसने पुनः विद्युत प्रदाय किए जाने का आवेदन पेश किया था । इस तथ्य के संबंध में भी कोई विवाद नहीं है कि भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधान लागू होने के पूर्व उपभोक्ता मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का उपभोक्ता था तथा जब वर्ष 2006 में उसने विद्युत का कनेक्शन दिए जाने का पुनः आवेदन किया था उस समय विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधान प्रभावशील हो गए थे तथा विद्युत वितरण का दायित्व प्रश्नगत विद्युत वितरण कम्पनी के कार्य परिधि में

आता है । उपभोक्ता के परिसर तक विद्युत प्रदाय करने के लिए विद्युत वितरण कम्पनी ने 13 किलो मीटर लंबी 132 केवीए की लाईन डाली थी तथा इस लाईन के संबंध में उपभोक्ता से प्रश्नगत राशि की मांग विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा की गई थी, जिसे स्वीकार करने के बाद विद्युत वितरण कम्पनी ने अनावेदक से संविदा की थी । इस तथ्य के संबंध में भी कोई विवाद नहीं है कि उपभोक्ता ने डेडीकेटेड फीडर अर्थात् समर्पित फीडर से विद्युत प्रदाय करने की मांग अनावेदक से नहीं की थी तथा विधि के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता की ऐसी मांग के बिना उसे समर्पित फीडर की सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती है ।

6. उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत शिकायत का मुख्य आधार यह है कि उसने समर्पित फीडर की सुविधा नहीं मांगी थी, ऐसी स्थिति में उससे बेकास्ट तथा सुपरवीजन चार्जेज के रूप में जो राशि वसूल की गई है वह नियम विरूद्ध है । उपभोक्ता ने अपनी आपत्ति के संदर्भ में भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 43, 46 एवं मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 4.3, 4.4, 4.6, 4.70, 5.3 की ओर ध्यान दिलाया है ।

7. उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करने के लिए विधि के उक्त प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य सुसंगत प्रावधानों पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है ।

8. भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 43 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसका लाभ उपभोक्ता को प्राप्त होता हो, इसके विपरीत धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार वितरण लाईसेंसी को यह अधिकार दिया गया है कि वह विद्युत लाईन देने से पूर्व खर्चों/व्ययों को विद्युत सप्लाई चाहने वाले व्यक्ति से चार्ज कर सकता है ।

9. उपभोक्ता के सारे तर्क का सार यह है कि उसने समर्पित फीडर की मांग नहीं की थी और उसे जो 13 किलो मीटर लंबा वे दिया गया था वह समर्पित फीडर नहीं था, अतः ऐसे वे की लागत और सुपरवीजन चार्जेज उससे वसूल नहीं किया जा सकता है । इस तर्क का आधार उपभोक्ता की ओर से अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के सुपरीन्टेंडेंट यंत्री के पत्र क्रमांक 65/9 दिनांक 6.3.06 जिसे फोरम की नस्ती में अनुलग्नक – VII के रूप चिन्हित किया गया है, को आधार में लिया है । इस पत्र की अंतर्वस्तु का अवलोकन किया जाना उचित होगा :–

As intimated by CE (Planning), it is to imtimate that tentative length of proposed 132 KV line is expected to 13 Kms. The tentative cost of line as per present schedule of rate is Rs. 340.00 lakhs. Cost of feeder bay & switch gear etc. is Rs. 46.6 lakhs. This estimated cost is subject to adjustment as per actual expenditure. This estimated cost is subject to adjustment as per actual

expenditure. The time required to complete the line and bay work would be one year after the above mentioned amount is deposited with MPPTCL.

Survey work for the line shall be started after deposition of Rs. 3.00 lakshs with MPPTCL, Jabalpur.

ROW for line wil be your responsibility. Further, specifacation for tower, civil job and other related details will be made available after you deposit 15 % supervision charges which are Rs. 43.27 lakhs approximately with MPPTCL.

As regards your letter dtd. 22-02-06, the supply to your plant shall be given by **independent dedicated feeder** as above. As regards, proposed 132 KV route of line to your factory you may contact office of C.E. (T&P), Jabalpur for the same for joint survey as requested by you.

Security Deposit amount tentatively is Rs. 1.66 Crores.

Please intimate your consent so that your case could be processed for sanction of power to competent authorities.

11. अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारी के पत्र दिनांक 6.3.06 में रेखांकित शब्द (जो आदेश लिखते समय किया गया) पर ध्यान दिए जाना आवश्यक है । इस पत्र में यह लेख किया गया है कि उपभोक्ता को independent dedicated feeder की सुविधा प्रदान की जा रही है । इसी आधार पर उपभोक्ता का तर्क है कि उसने डेटीकेटेड अर्थात समर्पित फीडर की सुविधा की मांग की थी, अतः ऐसी सुविधा के नाम से उससे जो राशि वसूल की गई है वह नियम विरूद्ध है ।

12. भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 2003 की धारा 2.16 में समर्पित परेषण लाईनें (dedicated transmission lines) को परिभाषित किया गया है । इस परिभाषा के अनुसार उपभोक्ता को समर्पित परेषण लाईन की सुविधा प्रदान नहीं की गई थी, ऐसी स्थिति में अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारी द्वारा पत्र में इस तथ्य का उल्लेख किए जाने का क्या औचित्य था, इस पर विचार किया जाना आवश्यक होगा ।

13. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 4.67 तथा 4.68 के प्रावधान इस संदर्भ में सुसंगत है । धारा 4.65 के प्रावधान इस प्रकार है :–

Supply to HT industrial consumers shall normally be given through HT feeder exclusively meant for industries. It may be preferable to extend supply through a separate feeder

from the nearest 33/11 kV or EHT substation in case of consumers with continuous process industry or load of 3 MVA or more.

14. विधि के उक्त प्रावधान का अवलोकन करने से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 33 के.वी.ए. उच्च दाब औद्योगिक उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति किए जाने के लिए 33/11 के.वी. उच्च दाब उपकेन्द्र से पृथक संभारक के माध्यम से किया जाना श्रेयस्कर होता है । आवेदक उपभोक्ता को 13 किलो मीटर लम्बे वे अर्थात् लाईन डालकर विद्युत आपूर्ति किया जाना आवश्यक था । उच्च दाब उपकेन्द्र से उपभोक्ता के परिसर के मध्य अन्य ऐसा कोई उपभोक्ता उस समय उपलब्ध नहीं था, जिसे 33 के.वी. औद्योगिक संभारक से विद्युत प्रदान की जा सके । अतः उपकेन्द्र से उपभोक्ता के परिसर तक जो विद्युत लाईन डाली गई थी उसकी लागत उपभोक्ता को अदा करने के लिए कहा गया था और ऐसी लाईन का पर्यवेक्षण शुल्क भी उपभोक्ता को अदा करने के लिए कहा गया था ।

15. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 4.1 के प्रावधानों से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जब आवेदक विनिर्दिष्ट आपूर्ति तथा सेवाओं का मूल्य वहन करने के लिए सहमत हो उसी स्थिति में उसे नवीन विद्युत की आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाएगी । उपभोक्ता ने नवीन विद्युत आपूर्ति का आवेदन पेश किया था उसे ऐसी नवीन विद्युत आपूर्ति में होने वाले व्यय तथा पर्यवेक्षण शुल्क अर्थात् सेवाओं के मूल्य की जानकारी अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के द्वारा दी गई थी । उपभोक्ता द्वारा व्यय की जानकारी प्राप्त होने पर तथा सहमति दिए जाने के बाद उसे नवीन विद्युत आपूर्ति दिए जाने की कार्यवाही अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई थी तथा उसी परिपेक्ष्य में उभयपक्ष के मध्य संविदा निष्पादित की गई थी ।

: निष्कर्ष :

16. अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी (अनुज्ञप्तिधारी) के सुपरीटेंडेंट यंत्री ने अपने पत्र दिनांक 06.03.06 में उपभोक्ता को व्यय के संबंध में जो जानकारी दी थी वह मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 4.1 के प्रावधानों के अनुसार विद्युत की आपूर्ति तथा सेवाओं के मूल्य की जानकारी थी तथा उक्त पत्र में उल्लिखित पद Independent dedicated feeder का आशय पृथक संभारक के रूप में विद्युत प्रदान किया जाना था । उक्त पत्र से यह निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता कि उपभोक्ता को समर्पित फीडर से विद्युत प्रदान की गई थी । इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि उभयपक्ष के मध्य जो संविदा निष्पादित की गई थी उसमें इस तथ्य का उल्लेख विशेष रूप से किया गया था कि उपभोक्ता को जिस विद्युत लाईन से विद्युत की आपूर्ति की जा रही है उस लाईन से अन्य उपभोक्ताओं को भी विद्युत की आपूर्ति की जा सकेगी । उपभोक्ता को यदि समर्पित फीडर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती उस स्थिति में संविदा में ऐसा उल्लेख

नहीं किया जाता, क्योंकि जिन उपभोक्ताओं को समर्पित फीडर से विद्युत की आपूर्ति करने की सुविधा प्रदान की जाती है वहां ऐसे फीडर से अन्य उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदान नहीं की जाती । समर्पित फीडर से उसी उपभोक्ता को विद्युत प्रदान की जाती है जिस उपभोक्ता द्वारा ऐसे फीडर से विद्युत आपूर्ति किए जाने का अनुरोध किया जाता है और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके अनुरोध को मंजूर किया जाता है ।

17. शिकायतकर्ता ने समर्पित फीडर की मांग नहीं की थी उसे समर्पित फीडर की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी, उससे समर्पित फीडर का मूल्य अदा करने के लिए नहीं कहा गया था और उपभोक्ता ने समर्पित फीडर का मूल्य अदा नहीं किया था । उपभोक्ता को पृथक संभारक के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति की गई थी । ऐसे पृथक संभारक को बनाने की लागत तथा सेवाओं का मूल्य उपभोक्ता की सहमति से उससे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूल किया गया था । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ऐसा मूल्य वसूल किया गया था, अतः अनावेदक उपभोक्ता को विद्युत लाईन के मूल्य और पर्यवेक्षण शुल्क को वापस पाने का अधिकारी होना नहीं पाया जाता है ।

18. अतः उपभोक्ता की शिकायत को निरस्त किए जाने का जो आदेश फोरम ने दिया है उस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार न पाए जाने से उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है तथा फोरम के आदेश की पुष्टि की जाती है ।

19. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल